

30/3/21 पत्रावली आज पेश है
साविका आदेश की याचना की
आफ पत्रावली दिनांक 23/4/21 को पेश है
A

565
01/04/21

जिला कलेक्टर, पाली

23/4/21 पत्रावली आज पेश है
अपीलाधी को लोक सचता अधिकारी
द्वारा उचित जवाब के संदर्भ में आपत्त पर सर्वेक्ष
हेतु लक्ष्य किया गया था के व्हाट जरिए Regd Act.
नोटिस उचित करने के जवाब में भी अक्षुण्ण ऐसे
में अपील एवं लोक सचता अधिकारी को उचित
प्रतिक्रिया एवं उनके द्वारा उचित जवाब का
अवकाश प्रदान किया गया।

अपीलाधी द्वारा जिले के सरकारी
कार्यालयों में तथा विभागों में सिपाही जति, रेसि
सैपड, कुगन, पसर की 18 वर्ष की कम आयु से 40 वर्ष
तथा 41-से 60 वर्ष तक की अविवाहित (विधवा)
परिवर्धित/तलाक प्रुत/पुनर्विवाहित महिला कर्मचारियों
अधिकारियों के नाम, पदनाम, कार्यलय/विभाग का नाम तथा
सेवामें समाप्त का एक पत्रा वृत्त तथा आयु की जांचकारी
चाही गई थी। जिस जवाब लोक सचता अधिकारी द्वारा
जति पत्रांक 8856 डि 23-10-2020 के उचित का
लिख दिया गया था कि आप द्वारा चाही गई सचता कर्मचारियों
द्वारा उचित नहीं है तथा किसी भी सचता को सहायता
का प्रोजेक्ट का प्रावधान नहीं है। कोरोना प्रोजेक्ट को सहायता
का प्रोजेक्ट आदि का जवाब भी उचित कर दिया गया है।
जिस स्थिति में अपीलाधी ने यह अपील सही लोक सचता
अधिकारी के समय या सचता उपलब्ध कराते एवं निर्देशित
करते हेतु लिया है। जिसके सम्बन्ध में वस न्यायालय
द्वारा किसी भी प्रकार की कार्यवाही क्रियार्थ नहीं है।
एसी स्थिति में यह अपील-पत्र दृष्टी स्था या
निरस्त किया जाता है।

पत्रावली वस न्यायालय से शुभा
फल की आशा नम्बर से कम है।

जिला कलेक्टर, पाली

